राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(महात्मा गांधी नरेगा, अनुभाग-3)

क्रमांकः एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मार्गदर्शन/2019-20 जयपुर, दिनांक 20 DEC 2021

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों को 100 दिवस का रोजगार प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किये जाने बाबत।

प्रसंग :- दिनांक 26.11.2021 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 29.11.2021 की अनुपालना के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 26.11.2021 को श्रीमान मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महात्मा गांधी नरेगा योजना की समीक्षा की गई। श्रीमान मुख्य सचिव महोदय द्वारा (बैठक कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार) श्रमिकों को योजनान्तर्गत 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक श्रमिक परिवारों को मांग किए जाने पर 100 दिवस का रोजगार दिए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में कुल 1,66,217 श्रमिक परिवारों द्वारा 100 दिवस का रोजगार पूर्ण किया गया है। संलग्न एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार 61-99 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या 13,94,903 है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि योजनान्तर्गत अधिकाधिक जॉब कार्डधारी परिवारों द्वारा 100 दिवस का रोजगार पूर्ण किए जाने के क्रम में 61 दिवस से अधिक का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों को प्रोत्साहित कर एवं नियोजन में प्राथमिकता देते हुए 100 दिवस का रोजगार प्रदान करवाने के प्रयास किए जावे, ताकि वर्षांत तक अधिकतम 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि हो सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(के.के. पाठक)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

अति.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्म गाधी नरेगा)

क्रमाकः एफ 51(21)ग्रावि/नरेगा/सा0बै0/2016–17 जयपुर, दिनांक 29 NOV 2021

बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 26.11.2021

दिनांक 26.11.2021 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में महात्मा गांधी नरेगा योजना की समीक्षा की गई। जिसमें प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, शासन सचिव, ग्रावि, आयुक्त ईजीएस एवं अन्य अधिकारी सम्मिलित हुए। समीक्षा में राज्य की स्थिति बेहतर बनाने हेतु मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।

- श्रमिकों का नियोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत में किया जाना सुनिश्चित किया जावे। तथा इसका संभागवार एवं श्रेणीवार विश्लेषण भी किया जावे।
- श्रमिकों को योजनान्तर्गत 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया जावे।
- राज्य की औसत श्रमिक दर गत वर्षों की तुलना में बेहतर है। इसे और बेहतर करने के लिए समूहवार नियोजन एवं माप व्यवस्था को और भी प्रभावी बनाया जावे।
- सामग्री मद पर किये गये व्यय की निर्धारित सीमा कुल व्यय का 40 प्रतिशत तक है। इसकी समीक्षा सम्बन्धित वर्ष में किये गये वास्तविक व्यय से की जावे।
- मांग करने पर निर्धारित समय में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान अनुसार बेरोजगारी भत्ता का भुगतान श्रमिक को किया जावे, एवं सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।
- योजनान्तर्गत इस वर्ष पौधारोपण के 47.49 लाख कार्य, पौषण वाटिका के 8138 कार्य, नर्सरी विकास के 346 कार्य, चारागाह विकास के कार्य 6130 हैक्टेयर भूमि पर करवाये गये। पौधों की जीवितता सुनिश्चित करने एवं प्रत्येक पंचायत समिति में एक अच्छी नर्सरी स्थापित की जावे।
- गत वर्षों के अपूर्ण रहे कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु ब्लॉकवार सघन समीक्षा की जावे।

Scanned with CamScanner

- प्रत्येक गांव में श्रमिकों के नियोजन हेतु व्यक्तिगत लाभ के कार्य प्रचुर मात्रा में लिए जावे।
- समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि राज्य में वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित ट्रान्जेक्शन की संख्या 1.38 लाख थी जो विभागीय प्रयासों से 17000 रह गई है। मुख्य सचिव महोदय ने प्रयासों की सराहना की तथा भविष्य में ट्रान्जेक्शन रिजेक्ट न हो ऐसी व्यवस्था की किये जाने के निर्देश दिये गये।

शासन सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2 निजी सचिव, शासन सचिव, ईजीएस।
3 निजी सहायक, आयुक्त, ईजीएस।
4 वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
5 अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम / द्वितीय), ईजीएस।
6 परि0 निदे0 एवं उप शासन सचिव, ईजीएस।
7 अधिशाषी अभियंता (एन / टी), ईजीएस।
8 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजस्थान।
9 रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस

Scanned with CamScanner

Number of HH completed 61-99 days employment as on 02.12.21

S.No	District	HH completed 61-99 days employment
1	AJMER	41550
2	ALWAR	21509
3	BANSWARA	104759
4	BARAN	10418
5	BARMER	152399
6	BHARATPUR	12467
7	BHILWARA	43764
8	BIKANER	39838
9	BUNDI	8199
10	CHITTORGARH	21810
11	CHURU	24969
12	DAUSA	6552
13	DHOLPUR	10629
14	DUNGARPUR	120944
15	HANUMANGARH	23359
16	JAIPUR	18076
17	JAISALMER	55427
18	JALORE	39767
19	JHALAWAR	54881
20	JHUNJHUNU	15083
21	JODHPUR	70979
22	KARAULI	15086
23	KOTA	9250
24	NAGAUR	105669
25	PALI	58241
26	PRATAPGARH	39623
27	RAJSAMAND	74229
28	SAWAI MADHOPUR	12253
29	SIKAR	16563
30	SIROHI	48126
31	SRI GANGANAGAR	32751
32	TONK	17215
33	UDAIPUR	68518
	Total	1394903

Scanned with CamScanner